राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी।

पशुधन प्रक्षेत्र हेतु आहार उत्पादन के लिए कच्चे मालों की आपूर्ति हेतु निविदा प्रपत्र

निविदा सूचना प्रकाशन सं0–599

दिनांक–19–12–2016

राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी

पशुधन प्रक्षेत्र हेतु निविदा प्रपत्र

राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी वर्ष 2016–17 के लिय कच्चे मालों हेतु दिनांक 15–01–2017 से दिनांक 31–03–2017 हेतु आपूर्ति से सम्बन्धित इस निविदा प्रपत्र में निम्नलिखित 05 भाग हैः–

भाग–1 निविदा सूचना सं0–599

भाग–2 तकनीकी निविदा

भाग–3 निविदा के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश

भाग–4 वित्तीय निविदा

भाग–5 कच्चे मालों के मानक

निविदा का विवरण

- निविदा प्राप्त करने की तिथि/समयः–01–01–2017 से 07–01–2017 शायं 5.00 बजे तक
- निविदा पेटिका में निविदा डालने की तिथि/समयः–09–01–2017 अपरान्ह 1.00 बजे तक
- निविदा खोलने की तिथि/समयः–09–01–2017 2.00 बजे
- निविदा खोलने का स्थानः–कक्ष अधीक्षक राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गजंरिया स्थित निबलेट बाराबंकी।

कार्यालय अधीक्षक राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र

चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी।

निविदा सूचना संख्या–599

राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी पर माह जनवरी 2016 से 31 मार्च 2017 तक निर्मिताओ/आपूर्तिकर्ताओं से प्रक्षेत्र पर पशु–पक्षी आहारों के उत्पादन मे प्रयोग होने वाले विभिन्न सामिग्रियों की आपूर्ति हेतु एफ0ओ0आर0 डेस्टीनेशन के आधार पर अलग–अलग सीलबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है।

निविदाये दिनांक 09–01–2017 को अपरान्ह 1.00 बजे तक राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी के पेटिका में डाली जायेगी तथा उसी दिन अपरान्ह 2.00 बजे निविदा अधीक्षक–राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया कार्यालय कक्ष मे खोली जायेगी। विस्तृत जानकारी एवं शर्त निविदा फार्म मे अंकित है जोकि विभागीय बेबसाइट **animalhusb.up.nic.in** पर उपलब्ध है निविदा प्रपत्र कार्य दिवस दिनांक 01–01–2017 से 07–01–2017 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में शुल्क रू0 500.00 एवं इस पर लगने वाले देय व्यापार कर (12 प्रतिशत) को अदा करके प्राप्त किये जा सकते है। अधीक्षक राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी को अधिकार होगा कि कोई अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त कर दे। निविदा की दरों की अवधि 31 मार्च 2017 के बाद अपरिहार्य कारणों में आगे बढ़ाई जा सकती है।

अधीक्षक,
राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र,
चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी।

राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी।

तकनीकी निविदा प्रपत्र

राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी द्वारा प्रक्षेत्र हेतु वर्ष 2016–17 के माह जनवरी 2017 से मार्च 2017 की अवधि हेतु कच्चे मालों कें क्रय के सम्बन्ध में प्रकाशित निविदा सूचना सं–599 दिनांक 19–12–2016 सम्बन्धी तकनीकी निविदा प्रपत्र का विवरणः–

1	निविदादाता फर्म का नामः–	....
2	फर्म का पता दूरभाष फैक्स नं0ई0मेल पताः–	....
3	आपूर्तिकर्ता का नाम व पता दूरभाष एवं मोबाईल नं0 ई0मेल पता	....
4	वैट(VAT) सं0 / तिथि वैधता दिनांक (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	....
5	आयकर स्थायी संख्या–(PAN) (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	....
6	अधिष्ठान व विभागों का नाम तथा पता जहॉ फर्म द्वारा आपूर्ति की जा रही है / की गयी है। (सूची संलग्न करें)	....
7	धरोहर धनराशि (अर्नेस्टमनी) विवरण (विभागीय रसीद सं0 / दिनांक)	....
8	निविदा प्रपत्र क्रमांक क्रय फीस की रसीद सं0 / दिनांक	....

घोषणा

मैने / हमने क्रय प्रस्ताव प्रपत्र (निविदादाताओ के लिए आवश्यक निर्देश) के लिय निर्देश को भलीभॉति पढ़ / समझ लिया है तथा उनका अनुपालन करने हेतु बचनबद्ध हूॅ / है। मै अधीक्षक राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी द्वारा निर्धारित समय सीमा में आदेशित मात्रा की आपूर्ति करने में पूर्णतया समर्थ हूॅ / है। कार्य निष्पादन में किसी प्रकार का विलम्ब या असफल होने पर मेरी / हमारी सम्पूर्ण जिम्मेदारी होगी। क्रय प्रस्ताव प्रपत्र में दी गयी सूचनायें मेरी / हमारी जानकारी के अनुसार पूर्णतया सत्य है। क्रय प्रस्ताव प्रपत्र में सम्बन्धित कोई भी तथ्य छिपाया नही गया है। क्रय प्रस्ताव में गठित कमेटी का निर्णय मान्य होगा। क्रय प्रस्ताव की शर्ते स्वीकार है। उपरोक्त के विपरित यदि कोई तथ्य प्रकाश में आता है तो मेरी / हमारी निविदा निरस्त कर दी जाये। इसमें मुझे / हमें कोई आपत्ति नही होगी।

स्थानः.. निविदादाता अधिकारी प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

दिनांकः.. प्रतिष्ठान की मुॅहर

राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी हेतु निविदा शर्ते

अधीक्षक राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी द्वारा प्रक्षेत्र पर पशु–पक्षी आहारों के उत्पादन हेतु वर्ष 2016–17 की माह जनवरी 2017 से मार्च 2017 की अवधि के लिय कच्चे मालों जैसेः–मक्का, तेलरहित राइस पालिश, तेलरहित मूँगफली खली, तेलरहित सरसों खाली, सरसों खली, गेहूॅ का चोकर, राइस पालिश की आपूर्ति हेतु निविदायें आंमत्रित की गयी है जिनका विवरण निविदा प्रपत्र में अंकित है। निविदा शर्त निम्न लिखित हैः–

सामान्यः–

1. निविदा प्रपत्र दो भाग में प्रस्तुत किये गये है। (1) तकनीकी निविदा (2) वित्तीय निविदा। तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफे में सीलबन्द किया जायेगा तकनीकी निविदा के लिफाफे पर तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा के लिफाफे पर वित्तीय निविदा स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना होगा। दोनों लिफाफे को एक तीसरे लिफाफें में रखा जायेगा, जिस पर अंकित किया जायेगा कि "प्रक्षेत्र हेतु पशु–पक्षी आहारों के उत्पादन में प्रयोग होने वाले कच्चे माल व सामिग्री हेतु निविदा दिनांक 19–12–2016"।
2. निविदा प्रपत्र के साथ कच्चे मालों के लिय रू0 50000.00 (पचास हजाार मात्र) अनेरस्ट मनी के रूप में नगद/एकाउन्ट पेई ड्राफ्ट मुख्य्य तकनीकी अधिकारी राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी के पक्ष में संलग्न किया जाना अनिवार्य है। चेक स्वीकार नही किया जायेगा। बिना अरनेस्ट मनी के निविदा पर विचार नही किया जायेगा। अरनेस्ट मनी की जमा धनराशि पर कोई ब्याज देय नही होगा।
3. निविदादाता द्वारा वैट पंजीकरण का विवरण निविदा में अंकित करना अनिवार्य होगा।
4. फर्म को व्यापार कर तथा आयकर क्लियरेन्स सर्टिफिकेट दरों के साथ संलग्न करने होगे।
5. दरें निविदा प्रपत्र के अनुसार विभिन्न सामग्रियों हेतु जिस अवधि के लिय निविदायें आमंत्रित की गयी है, उस अवधि की अन्तिम तिथि तक बैध होगी।
6. कच्चे मालों की दरें सभी टैक्सों सहित अर्थात् (टैक्स पेड) प्रक्षेत्र पहुॅचौता (एफ0ओ0आर) अंकित की जानी होगी।
7. कच्चे मालों की आपूर्ति एफ0ओ0आर0 फैक्ट्री ग्रास वजन उपयोगी पुराने बोरो में प्रक्षेत्र पर प्राप्त की जायेगी। पुराने बोरों की कीमत देय नही होगी और न ही पुराने बोरें वापस किये जायेगे।
8. निर्धारित समय तक प्राप्त निविदायें को उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष क्रय समिति द्वारा सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोली जायेगी उसमें सफल होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
9. टेन्डर खोलने के बाद दरों का निगोसियेशन किसी फर्म से नही किया जायेगा आवश्यकता पडने पर केवल न्यूनतम दर वाली फर्म से निगोसियेशन किया जा सकता हैं।
10. प्रक्षेत्र के लिए आवश्यक नही है कि वह न्यूनतम दरों पर क्रय स्वीकार करें। दरों पर निर्णय लेते समय समिति पूर्व अनुभव, गुणवत्ता, मेक अथवा बाजार भाव आदि को संज्ञान में ले सकती है।
11. कार्यहित के दृष्टिगत क्रय समिति के संस्तुति के क्रम में न्यूनतम दर दाता फर्म के अतिरिक्त एक से अधिक फर्मो को उनसे न्यूनतम दर पर सहमति प्राप्त कर स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

12. निविदाओं के माध्यम से प्राप्त हुई न्यूनतम दरों पर क्रय समिति द्वारा विचार करने के उपरान्त न्यूनतम दरें उपनिदेशक (प्रक्षेत्र),पशुपालन विभाग, उ0प्र0 महानगर लखनऊ द्वारा स्वीकृत की जायेगी जिसकी सूचना सम्बन्धित फर्म को दे दी जायेगी।

13. क्रय आदेश जारी करते समय आपूर्ति पर शिड्यूल अंकित किया जायेगा जिसके अनुसार सम्बन्धित फर्म कच्चे मालों की आपूर्ति प्रक्षेत्र स्टोर पर करायेगी।

14. सफल निविदादाता फर्म को क्रय किये जाने वाले कच्चे मालों के अनुमानित लागत के 10 प्रतिशत जमानत धनराशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से एफ0डी0आर0 बनवाकर मुख्य तकनीकी अधिकारी राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गजंरिया स्थित निबलेट बाराबंकी के पक्ष में बन्धक रखना होगा एवं रू0 220.00 के भारतीय गैर न्यायियक स्टाम्प पेपर पर तीन दिन के अन्दर एग्रीमेन्ट करना होगा। न्यूनतम स्वीकृत दरदाता द्वारा निर्धारित अवधि में अनुबन्ध करने मे असफल रहने की दशा में आपूर्ति में अनइच्छुक मानते हुये धरोहर राशि जब्त करते हुये द्वितीय न्यूनतम दरदाता से न्यूनतम दरों पर अनुबन्ध हेतु विचार किया जा सकता है।

15. क्रय समिति को यह अधिकार होगा कि वह विना कारण बताये एक अथवा समस्त निविदायें निरस्त कर दें।

16. निविदादाता के स्वयं के हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसकी फर्म किसी राजकीय विभाग अथवा अन्य संस्था से काली सूची में नही डाली गयी है, जिन निविदादाताओं को उपरोक्त शर्त मान्य हो वही निविदादाता अरनेस्ट मनी के साथ दरें प्रस्तुत करें, अन्यथा उसके अभाव में उनके द्वारा प्रस्तुत दरों पर विचार नही किया जायेगा। निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित की गयी कोई भी शर्त स्वीकार नही की जायेगी। सशर्त निविदा निरस्त भी की जा सकती है।

आपूर्ति

1. निविदा में प्राप्त दरें क्रय समिति की संस्तुति पर सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त होने पर क्रय आदेश निविदा दरों की वैधता अवधि में प्रक्षेत्र पर आवश्यकतानुसार समय–समय पर आपूर्ति तिथि एवं स्थान अंकित करते हुये निर्गत किये जायेगे।
2. आपूर्ति हेतु न्यूनतम एक सप्ताह का समय समय दिया जायेगा।
3. निविदा में विज्ञापित मात्रा अनुमानित है तथा अधीक्षक राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी को अधिकार होगा कि वह अपनी आवश्यकतानुसार मांग को घटा–बढा सकते है।
4. क्रय अधिकारी को यह अधिकार होगा कि आपूर्ति समय से अथवा मानको के अनुसार न होने की दशा में जमा की गयी अरनेस्ट मनी जब्त कर ले तथा भविष्य के लिय फर्म को ब्लेक लिस्ट कर दिया जायें।
5. किसी भी क्रय आदेश की पार्ट आपूर्ति नही ली जायेगी तथा समस्त आइटम्स की आपूर्ति संतोषजनक ढ़ंग से पूर्ण होने पर ही माल प्राप्त की तिथि मानी जायेगी।
6. यदि किसी आपूर्ति कर्ता द्वारा दिये गये डिलिवरी शिड्ल के अनुसार कच्चे मालों की आपूर्ति नही की जाती है अथवा पूरी मात्रा की आपूर्ति नही की जाती है अथवा आपूर्ति किया गया कच्चा माल निर्धारित गुणवत्ता मानक के अनुसार नही पाया जाता है ऐसी दशा में राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी द्वारा आवश्यकतानुसार पशु–पक्षी आहारों के उत्पादन जारी रखने हेतु सम्बन्धी कच्चे माल को रिक्त परचेज प्रणाली के अर्न्तगत द्वितीय एवं तृतीय न्यूनतम दरें (क्रय समिति की संस्तुति पर उपनिदेशक (प्रक्षेत्र), महोदय द्वारा अनुमोदित) अंकित करने वाली फर्मो से वरीयता क्रम में क्रय कर लिया जायेगा एवं इस प्रकार रिस्क परचेज के अनुसार अन्तर की धनराशि की कटौती पार्टी के जमानत की राशि एवं लम्बित भुगतान से कर ली जायेगी। यदि रिस्क परचेज के अन्तर की धनराशि भुगतान हेतु लम्बित बिलों तथा जमानत की

राशि से अधिक आती है तो ऐसी दशा में इस प्रकार की राशि पार्टी से न्यायिक प्रक्रिया से वसूली जायेगी। निविदा में प्राप्त द्वितीय अथवा तृतीय न्यूनतम दर वाली फर्म के सहमत न होने की दशा में खुले बाजार से रिस्क परचेज की जायेगी। बाजार से रिस्क परचेज की दशा में अन्तर की धनराशि की फर्म से कटौती से साथ–साथ रिस्क परचेज में प्रक्षेत्र द्वारा भुगतान की गयी कुल धनराशि पर 45 दिन के लिय सामान्य बैंक दर के अनुसार ब्याज की धनराशि आपूर्ति न करने वाली फर्म से वसूली जायेगी तथा अविश्सनीय आपूर्तिकर्ता अथवा काली सूची में अंकित किये जाने पर विचार किया जायेगा।

7. आपूर्ति शर्त सं0–6 के अनुसार सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता द्वारा क्रय आदेश निर्गत किये जाने से निर्धारित तिथि तक समस्त आदेशित कच्चे माल की आपूर्ति नही की जाती है तो ऐसी दशा में प्रक्षेत्र पर आवश्यकतानुसार पशु आहार का उत्पादन अनवरत जारी रखने हेतु सम्बन्धित कच्चे माल का रिस्क परचेज प्रणाली के अर्न्तगत क्रय कर लिया जायेगा एवं इस प्रकार के अन्तर की राशि की कटौती पार्टी की जमानत राशि अथवा लम्बित बिलों की राशि से कर ली जायेगी, परन्तु यदि रिस्क परचेज करने की आवश्यकता नही होती है तो ऐसी दशा में आपूर्ति हेतु दिये गये शिड्यूल की अंन्तिम तिथि के बाद अधिकतम 14 दिन का समय पार्टी को माल आपूर्ति हेतु उपलब्ध रहेगा तथा इस दौरान आपूर्ति किये गये माल पर 2 प्रतिशत सात दिन की दर से पेनाल्टी लगायी जायेगी जो कि प्रत्येक सात दिन के पहले दिन से ही लागू माना जायेगा। इस प्रकार प्रथम दिन से सातवे दिन तक के विलम्ब के लिय 2 प्रतिशत एवं आठवे दिन से चौदहवे दिन तक के लिय 4 प्रतिशत की दर से लेट सप्लाई पेनाल्टी की कटौती पार्टी से की जायेगी। यह लेट सप्लाई पेनाल्टी पार्टी द्वारा आपूर्ति हेतु आदेशित मात्रा के अतिरिक्त 10 प्रतिशत बढी हुयी सीमा के अन्दर आपूर्ति किये गये कच्चे माल की मात्रा पर भी लागू होगी। परन्तु जो मात्रा रिस्क परचेज प्रणाली के अर्न्तगत क्रय कर ली जायेगी उस पर लेट सप्लाई पेनाल्टी नही काटी जायेगी। यदि पार्टी के स्तर पर चौदहवे दिन से बढ़े हुये समय काल में भी माल की आपूर्ति नही की जाती है तो ऐसी दशा में क्रयादेश निरस्त माना जायेगा। तथा पार्टी के खाते से 5 प्रतिशत की दर से नान सप्लाई पेनाल्टी काटी जायेगी। यह पेनाल्टी आंशिक रूप से आपूर्ति किये गये कच्चे माल की मात्रा को छोडकर आपूर्ति हेतु अवशेष मात्रा में से कुल मात्रा की **<u>10 प्रतिशत मात्रा घटाने के बाद बची हुयी मात्रा</u>** पर ही लागू होगी।

8. किसी अप्रत्याशित स्थिति के कारण आपूर्ति अवधि में आपूर्ति सम्भव नही हो पाती है तो कारणों का उल्लेख करते हुये आपूर्तिकर्ता एक सप्ताह के अन्दर लिखित रूप से अवगत करायेगा। पर्याप्त कारण होने की होने की दशा में क्रेता को यह अधिकार होगा कि आपूर्ति अवधि को अधीक्षक राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबेलट बाराबंकी की संस्तुति पर कि इस बिलम्ब से उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पडा है आपूर्ति अवधि को बढ़ायें जाने हेतु विचार किया जा सकता है।

9. कच्चे माल के विभिन्न कन्साइनमेण्ट की आपूर्ति प्रक्षेत्र पर करते समय आपूर्तिकर्ता द्वारा माल डिलीवरी चालन तथा वीजक दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा। जिसमें पशु आहार प्रक्षेत्र द्वारा निर्गत किये गयें क्रय आदेश संख्या, आपूर्ति किये जा रहे कच्चे माल का विवरण व ट्रक संख्या का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। बिल अधीक्षक, राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बारबकी को माल प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

10. अधीक्षक राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी को पूरा अधिकार होगा कि क्रय हेतु आवश्यक मात्रा के आदेश को प्रथम न्यूनतम दर दाता एवं द्वितीय

न्यूनतम दरदाता फर्मो के मध्य द्वितीय न्यूनतम दरदाता फर्म से न्यूनतम स्वीकृत दरों पर आपूर्ति की सहमति लेकर बॉट दें। यह निर्णय प्रथत न्यूनतम दरदाता फर्म की पूर्व में आपूर्ति आदेश के निष्पादन क्षमता को दृष्टिगत रखते हुये कार्यहित में लिया जायेगा।

गुणवत्ता

1. विभिन्न कच्चे मालों की आपूर्ति प्राप्त करते समय प्रक्षेत्र पर सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा कच्चे माल का नेत्र परीक्षण किया जायेगा और यदि कच्चा माल नेत्र परीक्षण के समय अधोमानक प्रतीत हुआ तो कच्चे माल को आपूर्तिकर्ताओं को अपने खर्च पर वापस लेना होगा।
2. कच्चा माल मिलावट रहित कीट एवं फफूॅदी रहित होना चाहिए साथ ही इसमें किसी प्रकार के ढेले, खटास आपत्तिजनक बदबू नही होना चाहिए। कच्चे माल मे किसी प्रकार के हानिकारक पदार्थ धूल बाहरी तत्व जैसे लोहे के टुकडें आदि नही होने चाहिए। इस प्रकार के सभी कच्चे माल के कन्साइनमेण्ट जो स्पेसीफिकेशन के अनुसार नही है पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से रिजेक्ट करने का अधिकार अधीक्षक राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी को सुरक्षित रहेगा। निर्धारित गुणवत्ता का माल ही आपूर्तिकर्ता को देना होगा।
3. आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किये गये कच्चे माल के प्रत्येक कन्साइनमेन्ट के चार नमूनें दिये जायेगे। आपूर्तिकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि यदि नमूनें लिये जाने के समय उपस्थित रहते है तो उन्हे सील्ड नमूना उपलब्ध करा दिया जायेगा, दूसरा नमूना केन्द्रीय आहार परीक्षण प्रयोगशाला पशुपालन विभाग निदेशालय, लखनऊ में टेस्टिंग हेतु प्रयोग किया जायेगा। तीसरा व चौथा नमूना सील्ड करके अधीक्षक, राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी के पास तीन माह तक सुरक्षित रखा जायेगा तथा इस अवधि के बाद नमूने नष्ट कर दिये जायेगें एवं इसके पश्चात् किसी भी आपूर्तिकर्ता की गुणवत्ता के संबंध में कोई भी शिकायत स्वीकार नहीं की जायेगी।
4. केन्द्रीय आहार परीक्षण प्रयोगशाला में किये गये रासायनिक विश्लेषण की जांच रिपोर्ट संबंधित आपूर्तिकर्ता को रिपोर्ट की प्राप्ति के सात दिन के अन्दर उपलब्ध करा दी जायेगी तथा आपूर्तिकर्ता के लिये यह आवश्यक होगा कि इस विश्लेषण रिपोर्ट के बारे में वह अपनी स्वीकृति अधीक्षक, राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी पन्द्रह दिन के अन्दर ही दे देगें। यदि आपूर्तिकर्ता के स्तर से उपरोक्तानुसार पन्द्रह दिन के अन्दर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि आपूर्तिकर्ता द्वारा गुणवत्ता विश्लेषण रिपोर्ट स्वीकार कर ली गयी है एवं ऐसी स्थिति में इसी रिपोर्ट के आधार पर आपूर्तिकर्ता के भुगतान की अन्तिम रूप दे दिया जायेगा तथा उन्हें संबंधित कच्चे माल को किसी बाहरी मान्यता प्राप्त लैब में दोबारा जांच कराने का मौका नहीं दिया जायेगा, यदि आपूर्तिकर्ता द्वारा केन्द्रीय आहार परीक्षण प्रयोगशाला की रिपोर्ट स्वीकार नही की जाती है तो ऐसी दशा में उनके व्यय पर दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति से चयनित प्रयोगशाला में आपूर्ति किये गये कच्चे माल का नमूना दूसरे टेस्ट के लिये भेज दिया जायेगा।

5. यदि दूसरे टेस्ट की रिपोर्ट अधीक्षक, राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी द्वारा स्वीकार कर ली जाती है तो ऐसी दशा में पार्टी का भुगतान केन्द्रीय आहार परीक्षण प्रयोगशाला पहली टेस्ट रिपोर्ट तथा बाहरी लैब की दूसरी रिपोर्ट द्वारा दिये गये परिणामों के औसत के आधार पर कर दिया जायेगा, परन्तु यदि दूसरी टेस्ट रिपोर्ट अधीक्षक, राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी द्वारा

स्वीकार नहीं की जाती है तो ऐसी दशा में अधीक्षक, राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी को यह अधिकार होगा कि वह किसी अन्य मान्यता प्राप्त बाहरी लैब (जिस लैब से दूसरी टेस्ट कराया, को छोड़कर) में कच्चे माल के नमूने का तीसरा टेस्ट करा लेवे परन्तु उस तीसरे टेस्ट पर आने वाला व्यय अधीक्षक, राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी को वहन करना होगा। यदि कच्चे माल का तीसरी बार परीक्षण कराया जाता है तो ऐसी दशा में संबंधित आपूर्तिकर्ता का भुगतान केन्द्रिय प्रयोगशाला द्वारा किये गये प्रथम विश्लेषण की रिपोर्ट तथा बाहरी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा दी गयी दो विश्लेषण रिपोर्टों में से दो निकटतम विश्लेषण परिणामों के औसत के आधार पर किया जायेगा।

6. स्पेसिफिकेशन शीट/क्रय आदेशों में उल्लिखित रसायनिक विश्लेषण की गारंटी सदैव ड्राई मैटर बेसिस पर ही मान्य होगी न कि एजसच बेसिस पर। सभी प्रकार की डिआयल्ड खली तथा एक्सट्रैकशन कान्टीनुयस प्रोसेस प्लान्ट के होने चाहिये जब तक अन्यथा माँग न की गयी हो। सभी प्रकार की खलियों (आयल्डकैक्स तथा डिआयल्डकेक्स) अरंडी की खली महुआ की खली एवं अन्य हानिकारक तत्वों से मुक्त होना चाहिये।

7. यदि विश्लेषण में निर्धारित मानकों के अनुरूप माल नही पाया जाता है तो रसायनिक विश्लेषण परिणामों के आधार पर पार्टियों के बिलों से कटौती की जायेगी जो पार्टी को मान्य होगा। सामान्यतः विभिन्न कच्चे मालों में जो निर्धारित मानक है, उनमें कमी के साथ आपूर्ति स्वीकार नही की जायेगी, विशेष परिस्थितियों में यदि कोई विश्लेषण में कमी आती है तोः–

(अ) कच्चे मालों को (क्रुड वसा, नान फ्रुड ग्रेन तथा बाहरी तत्वों को छोड़कर) दो प्रतिशत मानक विशिष्टियों से कमी अथवा अधिकता की छूट कटौती सहित स्वीकार किया जा सकता है। प्रथम यूनिट की कमी /अधिकता हेतु एक प्रतिशत एवं 1% से 2% कमी/अधिकता हेतु 2% कुल बिल मूल्य पर कटौती की जायेगी।

(ब) क्रुड वसा के मानक प्रतिशत में 1% की कमी तक स्वीकार किया जायेगा परन्तु बिल की कुल धनराशि पर 4% की दर से कटौती की जायेगी।

(स) नान फ्रुडग्रेन/बाहरी तत्व की 1% अधिकता के साथ बिल मूल्य पर 1% कटौती के साथ स्वीकार की जा सकती है।

कच्चा माल आहारों के उत्पादन में उपयुक्त न पाये जाने पर आपूर्तिकर्ता को अपने व्यय पर माल को वापस लेना होगा यदि 15 दिन के अन्दर आपूर्तिकर्ता द्वारा संबधित रिजेक्टेड माल वापस नहीं उठाया जाता है तो ऐसी दशा में अधीक्षक, राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी को यह अधिकार होगा कि वह कच्चा माल को किसी इच्छुक पार्टियों से दरें लेकर अधिकतम दर पर बिक्री कर दें। इस प्रकार रिजेक्टेड माल के निस्तारण किये जाने की दशा में पार्टी की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य न होगा।

कच्चे मालों के अतिरिक्त अन्य सामिग्रियों की गुणवत्ता विवरण अनुसार आपूर्ति करनी होगी एवं मानक वित्तीय निविदा प्रपत्रों के साथ अंकित है।

भुगतान

1. भुगतान माल आपूर्ति के बाद सामान्यतः अधीक्षक, राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी द्वारा 60 दिन की क्रेडिट सुविधा उपभोग के अपरान्त किया जायेगा।
2. समस्त कच्चे मालों के बिलों का भुगतान अधीक्षक, राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी द्वारा किया जायेगा।
3. यदि किसी कच्चे माल पर निविदा की समय सीमा के भीतर शासन द्वारा किसी प्रकार का भी कर इत्यादि लगाया जाता है तो वह आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जायेगा और शासन द्वारा दी गयी कोई भी छूट आपूर्तिकर्ता के बिलों से काट ली जायेगी।

अन्य शर्तें

1. यदि आपूर्ति के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो अधीक्षक, राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी अथवा उनके नामित प्रतिनिधि द्वारा पंच निर्णय के माध्यम से निपटारा हेतु संदर्भित किया जायेगा एवं उनके द्वारा लिया गया निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा तथा किसी प्रकार के विधिक प्रकरण में न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।
2. उपरोक्त शर्तों में आपूर्तिकर्ता एवं क्रेता द्वारा उभय पक्षीय सहमति द्वारा आवश्यकतानुसार फेर बदल किया जा सकता है।

   उपरोक्त सभी शर्ते मुझे/हमें मान्य है तथा इन शर्तो को ध्यान में रखकर ही निविदा प्रस्तुत की जा रही है।

निविदादाता का हस्ताक्षर...............................
नाम..
फर्म/कम्पनी की सील.................................
पूरा पता..

अधीक्षक, राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र, चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी

वित्तीय निविदा फार्म

अधीक्षक, राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी द्वारा दैनिक समाचार पत्र दैनिक आप राज्य संस्करण में प्रकाशित निविदा सूचना प्रकाशन सूचना सं0–599 दिनांक 19–12–2016 के क्रम में निम्न विवरण के अनुसार माह जनवरी 2017 से 31 मार्च 2017 तक की अवधि के लिये आपूर्ति हेतु एफ0ओ0आर0 दरें पहुँचता समस्त करों सहित प्रस्तावित हैः–

क्र0 सं0	कच्चे माल का नाम	मात्रा (कुन्टल में) (अनुमानित)	दर प्रति कुन्टल
1.	मक्का (लाल/पीली)	165	
2.	मूँगफली खली	110	
3.	सरसों खली	254	
4.	मिनरल मिक्चर	12.5	
5.	गेहूँ का चोकर (मोटा फलोर मिल)	90	
6.	राइस पालिश	182	
7.	डी0आर0पी0	288	
8.	डी0ओ0सी0	04	
9.	नमक	22.5	

उपरोक्त कच्चे मालों की आपूर्ति राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी की आवश्यकता हेतु निविदा शर्तों के अनुसार किये जाने के लिये सहमत हूँ। आपूर्ति आवश्यकतानुसार समय–समय पर क्रय आदेश के अनुसार की जायेगी।

हस्ताक्षर...

निविदादाता का नाम व पता....................................

....

फर्म का मुहर...

कच्चे मालों के मानक

क्र0 सं0	कच्चे माल का नाम	नमी	क्रुड प्रोटीन न्यूनतम	क्रुड वसा न्यूनतम	क्रुड फाइवर अधिकतम	सिलिका अधिकतम	ननफूडग्रेन बाहरी तत्त अधिकतम
1.	जौ / ज्वार / चना	----	-------	------	------	------	3
2.	मक्का (पीली / लाल)	10	-------	-----	------	------	3
3.	मूँगफली खली	10	42-0	7	10	3-0	
4.	डी0ओ0जी0एन0सी0	10	42-0	-----	10	3-0	
5.	सरसों खली	10	36-0	10	8	2-0	
6.	डी0 सरसों खली	10	37-0	-----	8	2-0	
7.	राइस पालिश	10	11-0	15	5	1-5	
8.	राइस ब्रान	10	13-0	15	10	5-0	
9.	डी0आर0पी0	10	15-0	-----	12	6-0	
10.	गेहूँ चोकर	12-5	14-5	3-00	11	1-0	2-0
11.	फिशमील	10	40-0	8-0	------	7-0	5-0 ued
12.	मीटमील	10	40-0	5-5	6-0	5-0	
13.	डी0 सोयाबीन खली	10	46-0	-----	5-0	1-0	
14.	डी0 सूरजमुखी खली	10	30-0	-----	22-0	2-5	

उपरोक्तानुसार विभिन्न कच्चे मालों के मानकों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है। कच्चे मालों की दरे उपरोक्त मानकों के अनुसार ही निविदा में प्रस्तावित की गयी है तथा आपूर्ति भी निर्धारित गुणवत्ता मापदण्डों के अनुरूप ही करेंगें।

हस्ताक्षर...
.

निविदादाता का नाम व पता.......................................
..

फर्म की मुहर..
.